

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित प्रधानाचार्य-उमावि एवं समकक्ष स्तर के अधिकारियों के स्थानान्तरण/ पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किए जाते हैं -

S.NO.	NAME	PRESENT POSTING PLACE	DISTRICT	TRANSFERRED POSTING PLACE	DISTRICT	TA/DA APPLICABLE
1	MANJU CHAINANI	GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL TODGARH (221692)	AJMER	GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL CHHABILIGALI NANUMAL HALWAI NALABAZAR AJMER (221877)	AJMER	NO
2	LAXMAN PRASAD SHARMA	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL CHANDA KHURD (221575)	BUNDI	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL MOHANPURA (218207)	JAIPUR	NO
3	MAHAVEER PRASAD VERMA	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL MOHANPURA (218207)	JAIPUR	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL CHANDA KHURD (221575)	BUNDI	YES

- संबंधित अधिकारियों का कार्यग्रहण/कार्यमुक्ति आवश्यक रूप से शाला दर्पण के माध्यम से ही किया जाये।
- जिन अधिकारियों का परीक्षाकाल पूर्ण नहीं हुआ है उन्हें कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- RVRES अधिकारियों को नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका/शहरी पदस्थापन स्थानान्तरण पर कार्यमुक्त / कार्यग्रहण नहीं करवाया जाये।
- राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम-144 "क" के तहत प्रतिनियुक्त, लम्बे समय से अनुपस्थित, निलम्बित एवं स्थानान्तरण पर पूर्व में न्यायिक स्थगन प्राप्त अधिकारियों के संबंध में उक्त आदेश का क्रियान्वयन ना कराते हुए तत्काल इस कार्यालय को अवगत करवाते हुए नवीन निर्देश प्राप्त करेंगे।
- उक्त आदेश में जिन विद्यालयों में उप प्राचार्य (पूर्व पदनाम प्रधानाध्यापक मावि) के पद स्वीकृत हैं, उन विद्यालयों में प्रधानाचार्य के कार्यग्रहण के पश्चात् कार्यरत प्रधानाध्यापक मावि जिनका स्थानान्तरण नहीं हुआ है, वे उप प्राचार्य के पद पर यथावत कार्यरत रहेंगे।

6a

(गौरव अग्रवाल)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक - शिविरा/मा/संस्था/बी-2/45005/स्थानान्तरण-पदस्थापन/2022

दिनांक - 07/09/22

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री (प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान, जयपुर।
- विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
- संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग राजस्थान, जयपुर।
- परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
- निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
- संबंधित संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा)/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/प्रधानाचार्य डाईट/जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्या.) माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त अधिकारियों को तत्काल कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवा कर पालना से अवगत करावे।
- स्टॉफ ऑफिसर, निजी अनुभाग, निदेशक महोदय, कार्यालय हाजा।
- सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ।
- अनुभाग अधिकारी, शाला दर्पण अनुभाग को प्रेषित कर लेख है कि आदेशानुसार अधिकारियों के कार्यग्रहण/ कार्यमुक्त की कार्यवाही का प्रबोधन करें।
- संबंधित संस्था प्रधान को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश की पालना कर शाला दर्पण को तत्काल अपडेट करावे।
- संबंधित अधिकारी
- रक्षित पत्रावली

32

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर